भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2328

03.08.2026 को उत्तर के लिए

ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम

2328 **श्री भर्तृहरि महताबः**
श्री दिनेशभाई मकवाणाः
श्री बलभद्र माझीः
श्री दिलीप शइकीयाः
श्री हरिभाई पटेलः
श्री बिद्युत बरन महतोः
श्री तेजस्वी सूर्याः
श्री लुम्बाराम चौधरीः
श्री पी. सी. मोहनः
श्री दामोदर अग्रवालः
श्रीमती कमलेश जांगड़ेः
श्री खगेन मुर्मुः
श्री सतीश कुमार गौतमः
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशनः
श्री मनोज तिवारीः
श्री जनार्दन मिश्राः
श्री भरतसिहंजी शंकरजी डाभीः
श्री बिभु प्रसाद तराईः
डॉ. संजय जायसवालः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के शुरू होने के बाद से प्राप्त पारिस्थितिकी परिणामों और पर्यावरण लाभों का आकलन किया है और यदि हाँ, तो नबरंगपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में हुई प्रगति सहित इसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत किए जा रहे कार्यकलापों की निगरानी, सत्यापन और दीर्घकालिक पारिस्थितिकी मूल्यांकन के लिए कोई रूपरेखा विकसित की है और यदि हाँ, तो उक्त निर्वाचन क्षेत्र में इसके कार्यान्वयन सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का वृक्षारोपण और जल संरक्षण से आगे बढ़कर अन्य पर्यावरण क्षेत्रों में ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का विस्तार करने का प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या उक्त लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र को ऐसी पहलों के अंतर्गत शामिल किए जाने का प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो इसके लिए प्रस्तावित कार्यकलापों और अपेक्षित लाभों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ) ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम पर्यावरण के अनुकूल कार्यों को प्रोत्साहित करने और मिशन लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवनशैली) अभियान के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए एक अभिनव तंत्र है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल कार्यों का समर्थन करने वाले व्यवहारगत परिवर्तन अपनाने के लिए समुदाय को प्रेरित करते हुए संधारणीय जीवन शैली को प्रोत्साहित करना है। ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों और प्रथाओं को अपनाकर हरित आवरण को बढ़ाना, कार्बन पृथक्करण को बढ़ाना, अवक्रमित भूमि को पुनरुद्धार करना और कार्बन की मात्रा को कम करना है।

केंद्र सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत दिनांक 12 अक्टूबर 2023 को ग्रीन क्रेडिट नियम, 2023 अधिसूचित किए हैं, ताकि पर्यावरण के लिए स्वैच्छिक एवं सकारात्मक कार्यों को प्रोत्साहित किया जा सके, जिनके परिणामस्वरूप ग्रीन क्रेडिट जारी किए जाते हैं। ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के तहत, अवक्रमित वन भूमि में वृक्षारोपण और पारिस्थितिकी-पुनर्स्थापन की प्रक्रिया को दिनांक 22 फरवरी 2024 को अधिसूचित किया गया और इसे बाद में दिनांक 29 अगस्त 2025 को संशोधित किया गया था। इस उद्देश्य के लिए ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम पोर्टल (https://moefcc-gcp.in/) विकसित किया गया है।

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, देहरादून हरित क्रेडिट कार्यक्रम के तहत प्रशासक है और कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन, जिसमें इसका प्रबंधन, संचालन और हरित क्रेडिट जारी करना शामिल हैं।

ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम का उद्देश्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की निकायों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अवक्रमित भूमि को पुनरुद्धार करना है। ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के तहत जिन अवक्रमित भूमि के हिस्सों पर कार्य करने का प्रस्ताव है, उन्हें राज्य वन विभाग द्वारा भूमि को विधिवत सत्यापन करने के बाद चयनित और पंजीकृत किया जाता है।

आवेदक द्वारा केवल न्यूनतम पांच वर्ष का पुनरुद्धार कार्य पूरा करने और न्यूनतम चौवन प्रतिशत वृक्ष आवरण घनत्व प्राप्त होने के बाद ही ग्रीन क्रेडिट का दावा किया जा सकता है। रोपण किए गए पौध और उनके प्राकृतिक पुनर्जनन को परिपक्व होने और पर्याप्त कैनोपी कवर विकसित होने देने के लिए पांच वर्ष की अवधि निर्धारित की गई है, ताकि मध्यम घने जंगल के अनुरूप निर्धारित 40 प्रतिशत कैनोपी घनत्व प्राप्त किया जा सके।

कार्यक्रम के तहत किए गए वन बहाली कार्यकलापों का उद्देश्य जैव विविधता को बढ़ाना और वन संसाधनों की उत्पादकता में सुधार करना है। अवक्रमित वनों की बहाली का उद्देश्य स्थानीय समुदायों को काष्ठ, गैर- काष्ठ वन उपज, चारा, पानी और अन्य पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाकर लाभान्वित करना है।

ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के तहत "प्राधिकृत एजेंसी" ग्रीन क्रेडिट जारी करने के लिए आवेदक द्वारा किए गए कार्यकलापों का सत्यापन करेगी और प्रशासक को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के तहत वन बहाली कार्यकलापों की निगरानी और रिपोर्टिंग पर विस्तृत मैनुअल है, ताकि कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने और उसकी निगरानी करने में आसानी हो।

आज तक की स्थिति के अनुसार, नबरंगपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में ओडिशा वन विभाग द्वारा ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के तहत जीसीपी पोर्टल पर कोई भूमि खंड पंजीकृत नहीं है।
